तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** नियमित फौज. प्रकरण संख्या : 102/2021 सी.आई.एस. नम्बर : 102/2021 राज्य बनाम हेमन्त नरवानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्य में गवाहान अनुपस्थित। इस स्तर पर अभियुक्त की ओर से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छ्या जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना–पत्र पृथक से प्रस्तुत किया, जिस पर साक्ष्य अभियोजन बंद की गयी। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त हेमन्त पुत्र ओमप्रकाश, निवासी धाबाईयों का चौक, बून्दी, थाना कोतवाली, जिला बून्दी को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का निवेदन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः नरमी का रूख अपनाये जाने की प्रार्थना की गई। अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध किया। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध होना बताया है तथा उसकी पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त हेमन्त पुत्र ओमप्रकाश, निवासी धाबाईयों का चौक, बून्दी, थाना कोतवाली, जिला बून्दी को धारा–4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध कर तत्काल दंड से दंडित न कर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 01 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/– रुपये की राशि का बन्ध पत्र व जमानत इस आशय की पेश कर तस्दीक करा देवे कि वह परिवीक्षा अवधि के दौरान सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा,	

	अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5 के तहत अभियुक्त को अभियोजन व्यय के रूप में 500/–रुपये (अक्षरे पांच सौ रूपये) न्यायालय में जमा करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेशानुसार अभियुक्त द्वारा अभियोजन व्यय की राशि 500/–रुपये जरिये रसीद संख्या ..... दिनांक 10.03.2026 से न्यायालय में जमा की गई व परिवीक्षा के जमानत मुचलके पेश किये गये, जो बाद जांच तस्दीक किये गये, शामिल रहे। प्रकरण में जप्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित कर दिया जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	